[2019] 3 एस. सी. आर 367

गगन कुमार

बनाम

पंजाब राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 266)

14 फरवरी, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 31-एक मुकदमे में कई अपराधों के दोषसिद्धि के मामलों में सजा-धाराओं का अनुपालन।31, मजिस्ट्रेट द्वारा-अभिनिर्धारित किया -मजिस्ट्रेट को धारा का सहारा लेकर आदेश में निर्दिष्ट करना चाहिए।31 इस बारे में कि क्या प्रत्येक अपराध के लिए इस प्रकार दी गई कारावास की सजा समवर्ती या क्रमिक रूप से चलती है-तथ्यों पर, मजिस्ट्रेट ने सजा का आदेश पारित करते समय यह उल्लेख नहीं किया कि क्या धारा को दोषी ठहराने के लिए दिए गए दो दंड हैं।279 और 304-ए आई. पी. सी. समवर्ती या एक के बाद एक चलेंगे-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा 'समवर्ती' चलने के लिए दिए गए दोनों सजा।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

आदेश दिया- **1.1** मजिस्ट्रेट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **31** का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक था, जब उसने अपीलार्थी को एक मुकदमे में दो अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई और प्रत्येक अपराध के लिए दो दंड दिए, अर्थात् आई. पी. सी. की धारा **279** और धारा **304**-ए। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक था कि वह संहिता की धारा **31** का सहारा लेकर आदेश में निर्दिष्ट करे कि क्या प्रत्येक अपराध के लिए उसके द्वारा दी गई कारावास की सजा का दंड समवर्ती या एक के बाद एक चलेगा। वास्तव में, यह संहिता की धारा **31** के तहत विचार की गई एक कानूनी आवश्यकता होने के कारण, मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दो दंड देते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने में गलती की।[पारस **16-18] [370-F-H; 371-A]**

1.2 यदि मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य में विफल रहता है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इस त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए था और तदनुसार इसे ठीक करना चाहिए था। हालाँकि, यह नहीं किया गया था और इसलिए उस हद तक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।**[**पैरा **19](371-B)**

1. 3 अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और तदनुसार दो साल के कठोर कारावास के साथ-साथ **1000** रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर धारा **304**-ए के तहत एक महीने के साधारण कारावास और रुपये **1000** के जुर्माने के साथ **6** महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर आई. पी. सी. की धारा **279** के तहत **15** दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को दी गई दोनों सजाएं "समवर्ती रूप से" चलेंगी।**[**पैरा **20,21] (371-D)**

1. 4 जहाँ तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, जब तीन न्यायालयों ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर पाया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ

मामला बनाने में सक्षम था, तो इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं है।मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सजा के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है।[पैरा **22,23](371- E,F)**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार :2019 की आपराधिक अपील संख्या 266।

2018 (ओ एंड एम) के सी. आर. आर. संख्या 42 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 26.11.2018 के निर्णय और आदेश से।

देवेश कुमार त्रिपाठी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मन्दाकिनी सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दे दी गई।

2. यह अपील 2018 के सी. आर. आर. 4 2 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26.11.2018 के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेश की पुष्टि की।

3. अपील में एक छोटा विवाद शामिल है जो नीचे दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. अपीलार्थी पर अभियोजन चलाया गया और अंततः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जालंधर द्वारा 2013 के सी. एच. आई. 88530 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 279 और 304-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।सजा की मात्रा पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

आईपीसी की धारा 279 के तहत	छह महीने के लिए कठोर कारावास और रुपये 1000 का जुर्माना देना-और जुर्माने का भुगतान न करने पर पंद्रह दिनों के लिए साधारण कारावास ।
आईपीसी की धारा 304–ए के तहत	दो साल के लिए कठोर कारावास और रुपये 1000 का जुर्माना देना–और जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने के लिए साधारण कारावास ।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी (अभियुक्त) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालंधर के समक्ष सी. आर. ए./324/2017 दायर किया।दिनांक 08-12-2017 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

6. अपीलार्थी (अभियुक्त) ने उपरोक्त आदेश से व्यथित महसूस किया और चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा संशोधन को खारिज कर

दिया और निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

7. अपीलार्थी (अभियुक्त) ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की।

8. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या नीचे दिए गए न्यायालय अपीलार्थी को दोषी ठहराने में उचित थे।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

10. अपीलार्थी (अभियुक्त) के विद्वान वकील ने विवादित आदेश की वैधता और शुद्धता पर जोर देते हुए केवल एक बिंदु पर तर्क दिया|

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा केवल यह निवेदन किया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा का आदेश पारित करते समय इसमें यह उल्लेख नहीं करके गलती की कि क्या अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 279 और धारा 304-ए के तहत दिए गए दो दंड समवर्ती या एक के बाद एक चलेंगे।

12. विद्वान वकील ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 31 के तहत, मजिस्ट्रेट के लिए यह निर्दिष्ट करना अनिवार्य है कि क्या आरोपी को दी गई सजा एक साथ या एक के बाद एक तब चलती है जब आरोपी को मुकदमे में एक से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है।

13. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि चूंकि इस मामले में अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 304-ए के तहत एक महीने के लिए साधारण कारावास और आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत 15 दिनों के लिए साधारण कारावास से गुजरने के लिए जुर्माना राशि के साथ छह महीने के कठोर कारावास से गुजरने के लिए दो साल के कठोर कारावास के

साथ-साथ दंड राशि का भुगतान नहीं करने पर दंड दिया गया था, इसलिए इन दोनों दंडों को संहिता की धारा 31 (1) के तहत एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

14. हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील कानूनी स्थिति में दोष नहीं पा सके, जो इस मुद्दे को नियंत्रित करती है, और हमारे विचार में, सही है।

15. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने और मजिस्ट्रेट के दिनांक 12.05.2017 के आदेश को संशोधित करने के लिए इच्छुक हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

16. हमारी सुविचारित राय में, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक था कि वह संहिता की धारा 31 का अनुपालन सुनिश्चित करे जब उसने अपीलार्थी को एक मुकदमे में दो अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई और प्रत्येक अपराध के लिए दो दंड दिए, अर्थात् धारा 279 और धारा 304-ए आई. पी. सी।

17. ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक था कि वह संहिता की धारा 31 का सहारा लेकर आदेश में निर्दिष्ट करे कि क्या प्रत्येक अपराध के लिए उसके द्वारा इस प्रकार दिए गए कारावास की सजा का दंड समवर्ती या एक के बाद एक चलेगा।

18. वास्तव में, यह संहिता की धारा 31 के तहत विचार की गई एक कानूनी आवश्यकता होने के कारण, मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दो दंड देते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने में गलती की।

19. यदि मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य में विफल रहता है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इस त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए था और तदनुसार इसे ठीक करना चाहिए था। हालाँकि, यह नहीं किया गया था और इसलिए उस हद तक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था और तदनुसार दो साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ रुपये 1000 की जुर्माना राशि से दंडित किया गया था-और जुर्माना राशि का

भुगतान करने में विफल रहने पर धारा 304-ए के तहत एक महीने के साधारण कारावास और रुपये 1000 की जुर्माना राशि के साथ 6 महीने के कठोर कारावास भुगतना होगा-और जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत 15 दिनों के साधारण कारावास भुगतना होगा।

21. हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को दी गई उपरोक्त दोनों सजाएं "समवर्ती रूप से" चलेंगी।

22. जहाँ तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, जब तीन न्यायालयों ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर पाया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामला बनाने में सक्षम था, तो हमें इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

23. अन्यथा भी, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हालांकि गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष पर सवाल उठाने का प्रयास किया, लेकिन उस गंभीरता के साथ नहीं और हमारे विचार में, उचित है।इसलिए हम दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सजा के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है।

24. इस प्रकार अपील सफल हो जाती है और आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को केवल ऊपर पैरा 21 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।